न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 874 / 2024

अनवान : –

1. सावित्री पत्नी कृष्ण जाति जाट साकिन निमला तहसील नोहर।
2. सिलोचना पत्नी हेमराज जाति जाट साकिन निमला तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिक्षण अभियन्ता आईजीएनपी साहवा लिफ्ट वर्त कार्यालय बीकानेर।
3. अधिशाषी अभियंता ई0गो0न0पी0 रावतसर तहसील रावतसर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री महेश शर्मा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 20/05/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा निमला तहसील नोहर के खाता स0 314 के ख0न0 548 / 2 की 1.8150 हैक्ट भूमि, ख0न0 548 / 3 की 1.8150 हैक्ट भूमि में वादीया स0 1 का 172 / 363 हिस्सा, वादीया स0 2 का 191 / 363 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादी स0 2–3 के विभाग की गैर मुमकिन नहर आईजीएनपी भोमिया जी माईनर के नाम ख0न0 548 / 1 की 1.2770 हैक्ट भूमि दर्ज है। पूर्व मे ख0न0 548 एकल था जिसमे से भोमिया माईनर का निर्माण किया गया तथा वरवक्त ख0न0 जब बटे डालकर नये ख0न0 548 / 1 व 548 / 2 व 548 / 3 बनाये गये तो नक्शा में लाईनिंग हो गयी और वादीयान के ख0न0 548 / 1 में 1.8150 हैक्ट भूमि दर्ज कर दी जबकि ख0न0 518 / 2 में केवल 0.7590 हैक्ट भूमि का तथा ख0न0 548 / 1 को ख0न0 548 / 1 की ओर बढ़ाकर गलत नक्शा बनाया गया है तथा ख0न0 548 / 3 की भूमि 2.841 हैक्ट भूमि इसी अनुसार नक्शा दुरूस्त करने की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि नक्शा दुरूस्त करवा लेवे तथा मौका अनुसार नक्शा तैयार कर राजस्व रिकार्ड मं दर्ज करवा लेवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कांर हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:13:10 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 2 [illegible] ने [illegible] इस आशय का पेश [illegible] की वादीया का नक्शा व भूमि से का संबंध प्रतिवादी स0 1 के [illegible] संबंधित है रोही मौजा [illegible]ला तहसील नोहर के खाता स0 329 में दर्ज भूमि ख0न0 548 / 1 की 1.2770 हैक्ट भूमि में बिना किसी प्रकार का

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

हस्तक्षेप करते हुए वाद में राज्य सरकार व विभाग के हितो को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण फरमावे। प्रतिवादी स0 1 तहसीलदार राजस्व ने रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की कि वर्तमान में मौका अनुसार ख0न0 548/2 व 548/3 किस्म बारानी प्रथम का मुताबिक सीमाज्ञान अनुसार ग्राम नीमला का ख0न0 548/2 का रकबा 0.7590 हैक्ट तथा 548/3 का रकबा 2.871 हैक्ट को संशोधित किया जाना उचित है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व नक्शा पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी स0 2–3 के विभाग की गैर मुमकिन नहर आईजीएनपी भोमिया जी माईनर के नाम ख0न0 548/1 की 1.2770 हैक्ट भूमि दर्ज है। पूर्व मे ख0न0 548 एकल था जिसमे से भोमिया माईनर का निर्माण किया गया तथा वरवक्त ख0न0 जब बटे डालकर नये ख0न0 548/1 व 548/2 व 548/3 बनाये गये तो नक्शा में लाईनिंग हो गयी और वादीयान के ख0न0 548/1 में 1.8150 हैक्ट भूमि दर्ज कर दी जबकि ख0न0 518/2 में केवल 0.7590 हैक्ट भूमि का तथा ख0न0 548/1 को ख0न0 548/1 की ओर बढ़ाकर गलत नक्शा बनाया गया है तथा ख0न0 548/3 की भूमि 2.841 हैक्ट भूमि इसी अनुसार नक्शा दुरूस्त करने की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की प्रतिवादी स0 2 व 3 ने जवाब दावा इस आशय का पेश किया की वादीया का नक्शा व भूमि से का संबंध प्रतिवादी स0 1 के से संबंधित है रोही मौजा निमला तहसील नोहर के खाता स0 329 में दर्ज भूमि ख0न0 548/1 की 1.2770 हैक्ट भूमि में बिना किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते हुए वाद में राज्य सरकार व विभाग के हितो को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण फरमावे। प्रतिवादी स0 1 तहसीलदार राजस्व ने रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की कि वर्तमान में मौका अनुसार ख0न0 548/2 व 548/3 किस्म बारानी प्रथम का मुताबिक सीमाज्ञान अनुसार ग्राम नीमला का ख0न0 548/2 का रकबा 0.7590 हैक्ट तथा 548/3 का रकबा 2.871 हैक्ट को संशोधित किया जाना उचित है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा निमला तहसील नोहर के खाता स0 314 के ख0न0 548/2 की 1.8150 हैक्ट भूमि, ख0न0 548/3 की 1.8150 हैक्ट भूमि में वादीया स0 1 का 172/363 हिस्सा, वादीया स0 2 का 191/363 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। खसरा नक्शा के [illegible] से ख0न0 548/3 का क्षेत्रफल ख0न0 548/2 से ज्यादा प्रतीत होता है [illegible] प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार ख0न0 548/2 व 548/3 किस्म बारानी प्रथम का मुताबिक सीमाज्ञान अनुसार ग्राम नीमला का ख0न0 548/2 का रकबा 0.7590 हैक्ट तथा 548/3 का रकबा 2.871 हैक्ट को संशोधित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:13:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

जाना उचित है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा निमला तहसील नोहर के ख0न0 548/2 में वादीयान की 0.7590 हैक्ट तथा ख0न0 548/3 की 2.841 हैक्ट जिसमें वादीया स0 1 का 172/363 हिस्सा व वादीया स0 2 को 172/363 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:13:10 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 874 / 2024

अनवान : –

1. सावित्री पत्नी कृष्ण जाति जाट साकिन निमला तहसील नोहर।
2. सिलोचना पत्नी हेमराज जाति जाट साकिन निमला तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिक्षण अभियन्ता आईजीएनपी साहवा लिफ्ट वर्त कार्यालय बीकानेर।
3. अधिशाषी अभियंता ई0गो0न0पी0 रावतसर तहसील रावतसर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 874 सन 2024 निर्णय दिनांक 20/05/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा निमला तहसील नोहर के ख0न0 548 / 2 में वादीयान की 0.7590 हैक्ट तथा ख0न0 548 / 3 की 2.841 हैक्ट जिसमें वादीया स0 1 का 172 / 363 हिस्सा व वादीया स0 2 को 172 / 363 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/5/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:13:10 IST
Reason: SelfAttested